फाइल नं0-71-3099/169/2022-03

101/2024/I/733661/2024

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
देवरिया।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 06 सितम्बर, 2024

विषयः- **केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges attached with existing District/Referral Hospital (फेज-2) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, देवरिया को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के निर्माण हेतु जिला चिकित्सालय के परिसर के निष्प्रयोज्य 25 भवनों का ध्वस्तीकरण किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0दे0/आगणन/2021-22/735, दिनॉक 03.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges attached with existing District/Referral Hospital (फेज-2) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, देवरिया को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के निर्माण हेतु जिला चिकित्सालय के परिसर के निष्प्रयोज्य 25 भवनों, जिनका ह्रासित मूल्य रू0 1012.05 लाख (रू0 दस करोड़ बारह लाख पॉच हजार) है,** के ध्वस्तीकरण की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। ध्वस्तीकरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 9,70,06,000.00 (रू0 नौ करोड़ सत्तर लाख छः हजार) को नियमानुसार बट्टे खाते में डाला जायेगा अथवा लोक निर्माण विभाग के शासनादेश दिनॉक 25.08.2023 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3- उपर्युक्त ध्वस्तीकरण किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(1) प्रस्तावित धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने हेतु शासनादेश सं0-3/2023/ए-2-110/दस-2023-24(7)/95, दिनांक-25.08.2023 में प्राविधानित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यदि ध्वस्तीकरण के पश्चात उस कार्यस्थल पर कोई अन्य संरचना का निर्माण प्रस्तावित नहीं है तो ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री (मलबा आदि) की नीलामी प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के आधार पर की जाये तथा इसके फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) लोक निर्माण अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-158/2023/993/23-5-23-50(40)ईजी/08, दिनांक-12.09.2023 के अनुसार ध्वस्तीकरण के उपरान्त स्थल पर कोई अन्य भवन/संरचना का निर्माण प्रस्तावित होने की स्थिति में, प्रधानाचार्य द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी Guidelines for Valuation of Immovable Properties-2009 के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन का मूल्यांकन कराते हुये उसकी लागत का समावेश नवीन परियोजना की डी0पी0आर0 में किया जायेगा। भवनों के ध्वस्तीकरण (प्राप्त मलबे का निर्माण के द्वारा अधिकाधिक पुर्नपयोग करते हुये) कार्यदायी ठेकेदार के स्कोप में ही शामिल किया जायेगा, जिससे निर्माण कार्य के प्रारम्भ में विलम्ब न हो तथा मलबे का अधिकाधिक पुर्नपयोग (Recycling) करते हुये पर्यावरण के संरक्षण में भी योगदान किया जा सकें।

3- कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-उपरोक्त, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त (लेखा), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर मिश्र)
उप सचिव।

http://-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।